अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और गत पाँच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं - समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को विलय किया गया जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के शेष का भाग बनता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। दिल्ली को संघीय करों व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रुपरेखा

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2014-15 में ₹ 4,51,153.65 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (15.44 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर पर (16.36 प्रतिशत) बढ़ा है। **(परिशिष्ट 1.1)**। भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वर्तमान मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि के रूझान परिशिष्ट 1.4 में प्रदशिति है।

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत प्रस्तुत की गई हैं **(परिशिष्ट 1.2)।**

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता हैं। **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.1

चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			**संवितरण**				
	2013-14	**2014-15**		**2013-14**	**2014-15**		
खण्ड-अ राजस्व	**कुल**	**कुल**	**खण्ड-अ राजस्व**	**कुल**	**गैर योजनागत**	**योजनागत**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	**27980.69**	**29584.59**	**राजस्व व्यय**	**22366.52**	**15563.19**	**7946.30**	**23509.49**
कर राजस्व	25918.69	26603.90	सामान्य सेवाएँ	5597.48	5828.78	154.62	5983.40
गैर-कर राजस्व	659.14	632.54	सामाजिक सेवाएँ	12314.54	6344.87	6961.24	13306.11
			आर्थिक सेवाएँ	3650.01	2488.54	830.45	3318.99
भारत सरकार से अनुदान	1402.86	2348.14	सहायता अनुदान तथा अंशदान	804.50	900.99	-	900.99
खण्ड-ब पूँजीगत			**खण्ड-ब पूँजीगत**				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	**पूँजीगत व्यय**	**4707.42**	**4.82**	**4399.12**	**4403.94**
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	**802.92**	**227.61**	संवितरित ऋण व अग्रिम	**5652.37**	**45.70**	**1634.24**	**1679.94**
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	**4162.89**	**1764.32**	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	**1325.29**	**1346.73**	-	**1346.73**
प्रारंभिक नकद शेष$	**1985.75**	**880.65**	अंतिम नकद शेष$	**880.65**	-	-	**1517.07**
कुल	**34932.25**	**32457.17**		**34932.25**	-	-	**32457.17**

* *भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखत: छोटी बचतों में अंश के रुप में है।*

$ *नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।*

(स्रोत: वर्ष 2014-15 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. लेखा, कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,603.90 करोड़ (5.73 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) व गैर-कर राजस्व में ₹ 26.60 करोड़ (4.04 प्रतिशत) की कमी हुई तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 1,142.97 करोड़ (5.11 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 303.48 करोड़ (6.45 *प्रतिशत*) की कमी हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 575.31 करोड़ (71.65 *प्रतिशत*) से घटी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 3972.43 करोड़ (70.28 *प्रतिशत*) घटी।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 2,398.57 करोड़ (57.62 *प्रतिशत*) से घटी जबकि पुनर्भुगतान ₹ 21.44 करोड़ (1.62 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- 2014-15 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 636.42 करोड़ (72.27 *प्रतिशत*) से बढ़ा।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक आँकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1 : चयनित राजकोषीय पैरामीटरः बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविकताएँ

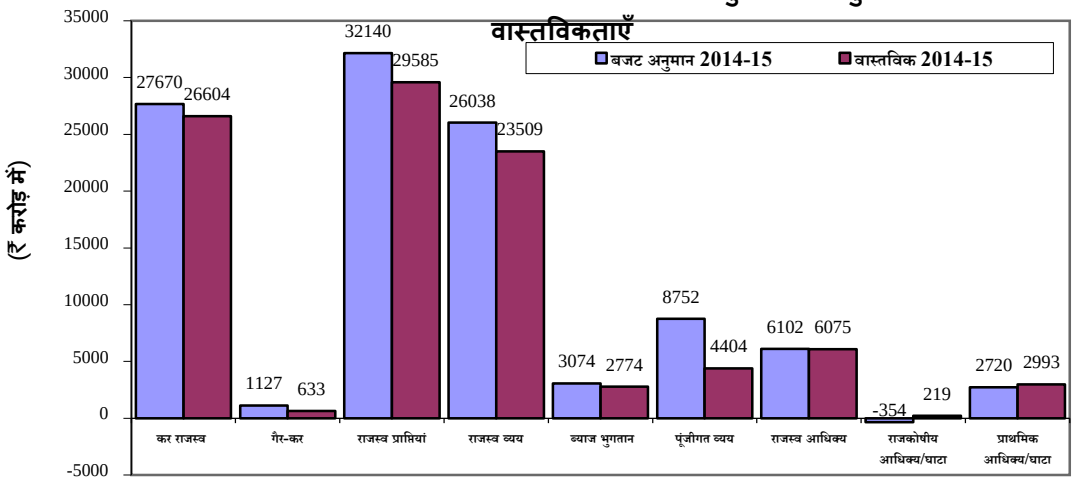

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है, कई प्रमुख मापदण्डों के मामले में अनुमान व वास्तविकता में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय आधिक्य ₹ 354

करोड़ अनुमानित राजकोषीय घाटे की तुलना में ₹ 219 करोड़ था तथा प्राथमिक आधिक्य अनुमानित ₹ 2720 करोड़ की तुलना में ₹ 2993 करोड़ था।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व व पूंजी प्राप्तियों की दो प्रकार हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएँ आती हैं। **तालिका 1.1** वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवम् संवितिरण जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृतियाँ दर्शाता है।

चार्ट 1.2 : प्राप्तियों में प्रवृतियाँ

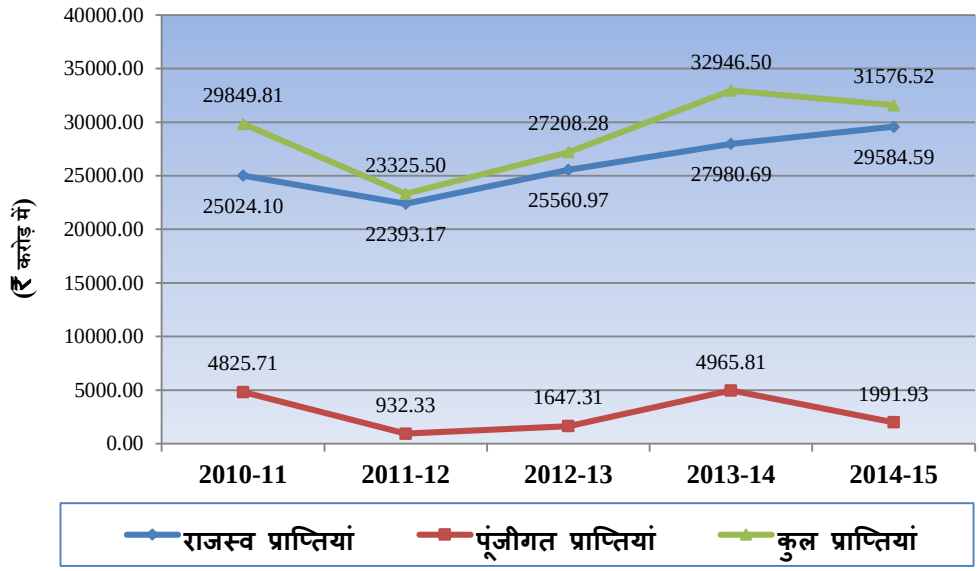

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 2010-11 के 83.83 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 93.69 प्रतिशत थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2010-11 से 2014-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों

की प्रवृतियाँ व संरचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है तथा क्रमशः **चार्ट 1.3 व चार्ट 1.4** में भी दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3 : राजस्व प्राप्तियों में प्रवृति

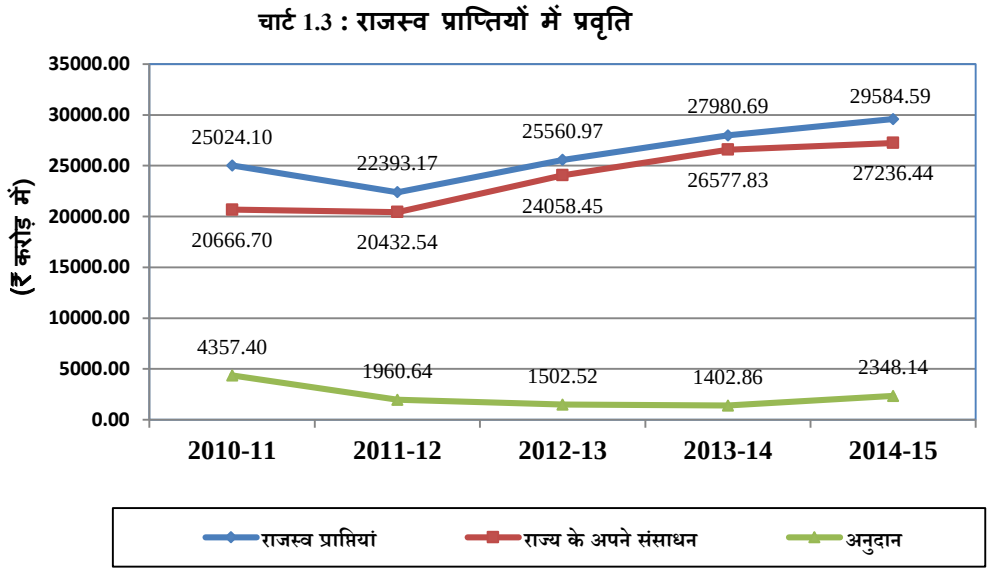

चार्ट 1.4 : 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटक

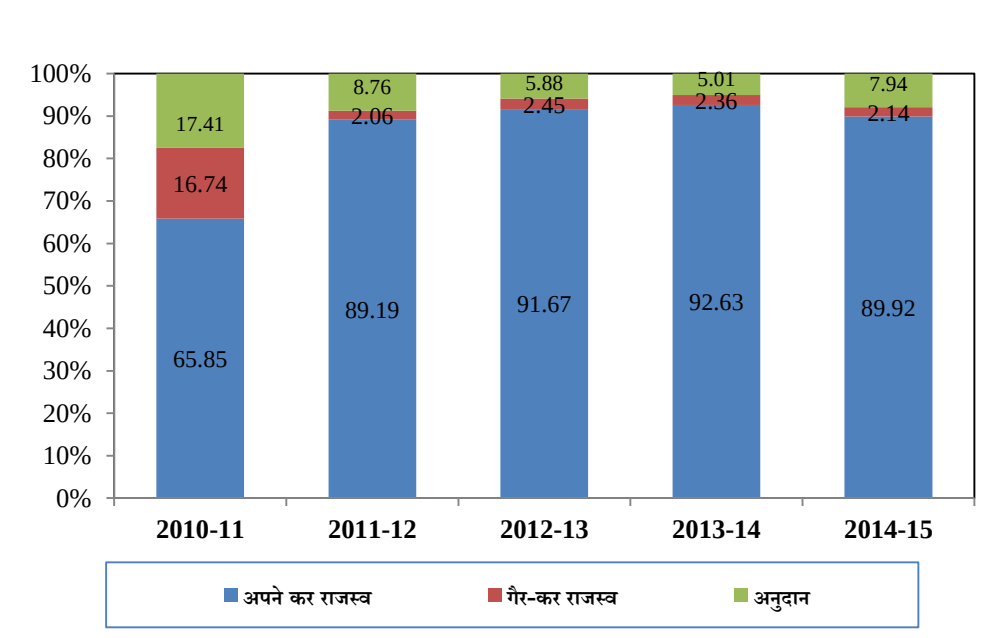

2013-14 में कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 27980.69 करोड़) में राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 25918.69 करोड़) का अंश 92.63 प्रतिशत था जो कि 2014-15 में आंशिक रूप से घटकर 89.92 प्रतिशत हो गया। 2010-15 की अवधि के दौरान गैर कर राजस्व में उतार-चढ़ाव था। दिल्ली का गैर कर राजस्व 2010-11 में ₹ 4,188.95 करोड़ था किंतु यह 2011-12 में ₹ 460.87 करोड़

तक तेजी से घट गया और फिर 2014-15 मे इसमे सुधार होकर ₹ 632.54 करोड़ हो गया। कुल प्राप्तियों में गैर कर प्राप्ति का अंश 2010-11 में 16.74 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 2.14 प्रतिशत था जो एक उचित प्रवृत्ति नहीं है। स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 1.2

स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों मे प्रवृत्तियाँ

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹करोड़ में)	**25024.10**	**22393.17**	**25560.97**	**27980.69**	**29584.59**
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	22.36	(-)10.51	14.15	9.47	5.73
रा.प्रा../ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.90	7.80	7.63	7.15	6.56
उत्प्लावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.39	(-)0.77	0.85	0.56	0.37
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्पलावकता	1.40	1.56	1.04	0.63	0.17

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेख)

राजस्व प्राप्तियों में 2010-15 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई, वर्ष 2011-12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,630.93 करोड़ कम हो गई। 2014-15 की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 5.73 *प्रतिशत* बढ़ गई जबकि स.रा.घ.उ. में वृद्धि 15.35 *प्रतिशत* रही **(परिशिष्ट 1.4)**। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर उत्प्लावकता पिछले वित्तीय वर्ष *से* 0.63 *प्रतिशत से* कम हो कर 0.17 *प्रतिशत* हो गई।

2010-11 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता उच्च थी (स.रा.घ.उ. में प्रति एक *प्रतिशत* वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में 1.40 *प्रतिशत* वृद्धि)। यह 2011-12 के दौरान बढ़कर 1.56 प्रतिशत हो गयी, परंतु यह प्रवृति जारी न रह पाई। 2013-14 में यह कम होकर 0.63 *प्रतिशत* और 2014-15 में 0.17 *प्रतिशत* हो गई।

1.5.1 राज्य के अपने संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010-15 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2013-14 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2014-15 में 5.73 प्रतिशत तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2010-11

में 65.85 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 89.92 *प्रतिशत* हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2010-11 में 16.74 *प्रतिशत* से घटकर 2014-15 में 2.14 *प्रतिशत* हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2010-11 में 17.41 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 7.94 *प्रतिशत* हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक **चार्ट 1.5** में दिए गए हैं:

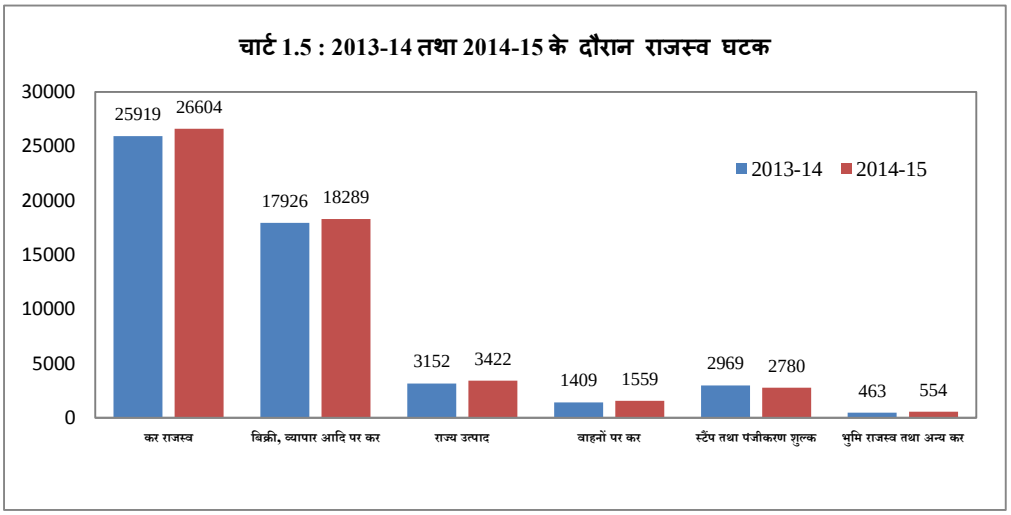

स्त्रोतः वित्त लेखे 2013-14 एवं 2014-15

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 26,603.90 करोड़) विगत वर्ष (₹ 25,918.69 करोड़) की तुलना में ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 68.78 *प्रतिशत* का योगदान था तथा गत वर्ष से यह 2.08 प्रतिशत बढ़ा था।

राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 270.76 करोड़ (8.59 *प्रतिशत*) बढ़ा जबकि स्टाम्प ड्यूटी ₹ 189.19 करोड़ (6.37 *प्रतिशत*) घटी। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों (भूमि तथा राजस्व सहित) का अंशदान क्रमशः ₹ 149.55 करोड़ (10.61*प्रतिशत*) व ₹ 90.49 करोड़ (19.65 *प्रतिशत*) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.14 *प्रतिशत* था, वर्ष 2010-11 से ₹ 3,556.41 करोड़ (84.90 *प्रतिशत)* कम हो गया।

1.5.2 संग्रहण की लागत

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रह, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् हैः

तालिका 1.3
संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2012-13	15803.69	75.70	0.48
	2013-14	17925.71	72.56	0.40
	2014-15	18289.31	49.26	0.27
राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	2869.74	23.67	0.82
	2013-14	3151.63	13.01	0.41
	2014-15	3422.39	5.29	0.15
वाहनों पर कर	2012-13	1240.18	28.91	2.33
	2013-14	1409.28	33.63	2.38
	2014-15	1558.83	31.49	2.02

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा बिक्री इत्यादि पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत का प्रतिशत पिछले वर्ष की अपेक्षा घट गया।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने, सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूंजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2010-11 में ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया।

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 29,593.37 करोड़ विगत वर्ष से ₹ 3,132.94 करोड़ (9.57 *प्रतिशत*) घटा है। कुल कमी में से, पूंजीगत व्यय ₹ 303.48 करोड़ तथा ऋण व अग्रिमों में ₹ 3972.43 करोड़ था, जबकि राजस्व

व्यय में ₹ 1,142.97 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय के अंश में कमी राज्य द्वारा निधि के कम उत्पादक आवंटन का संकेतक है। विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2010-11 में ₹ 14,381.74 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 23,509.49 करोड़ हो गया जो 63.47 *प्रतिशत* की वृद्धि थी। तुलनात्मक रूप में पूंजीगत व्यय जो 2010-11 में ₹ 3,984.80 करोड़ था, 2014-15 में बढ़कर ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 10.52 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की।

पूंजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2010-11 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमश: 21.70 *प्रतिशत* तथा 78.30 *प्रतिशत* थे जबकि 2014-15 में ये क्रमशः 15.78 *प्रतिशत* व 84.22 *प्रतिशत* थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2013-14 में ₹ 12,165.21 करोड़ था जो की 2014-15 में ₹ 180.21 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 12,345.42 करोड़ हो गया जबकि गैर-योजनागत व्यय 2013-14 में ₹ 659.27 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,908.73 करोड़ से 2014-15 में ₹ 15,568.01 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 44.23 *प्रतिशत* तथा 55.77 *प्रतिशत* था (लोन तथा अग्रिम को छोड़कर)। **चार्ट 1.6** 2010-14 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृतियाँ प्रस्तुत करता है:

चार्ट 1.6 : कुल व्यय : प्रवृतियाँ तथा संघटक

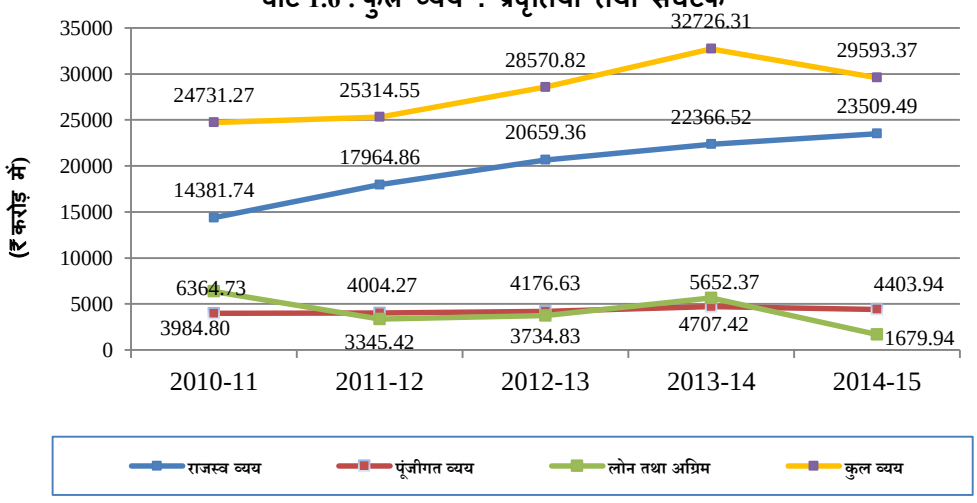

'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में दिखाया गया है।

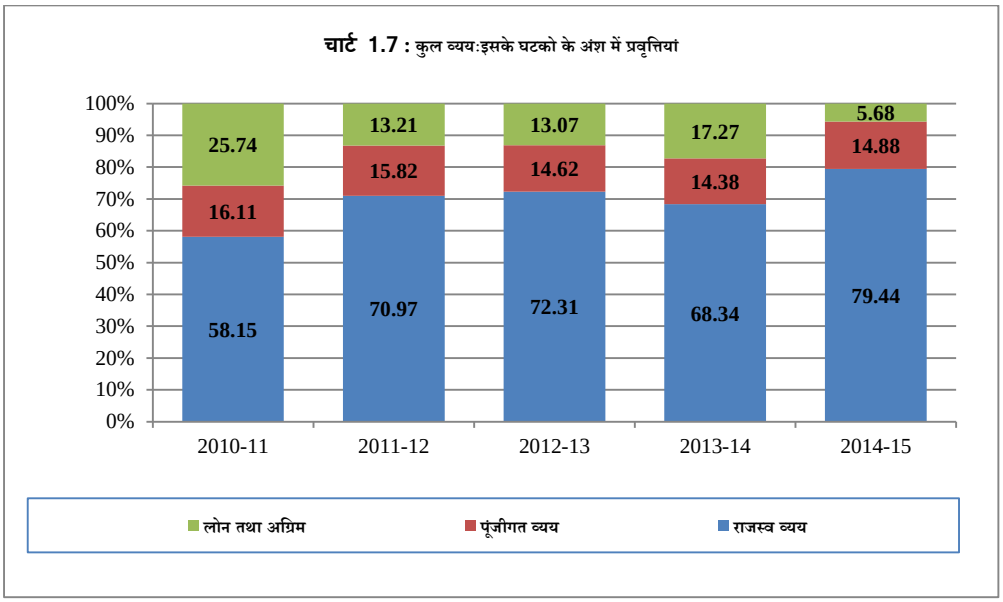

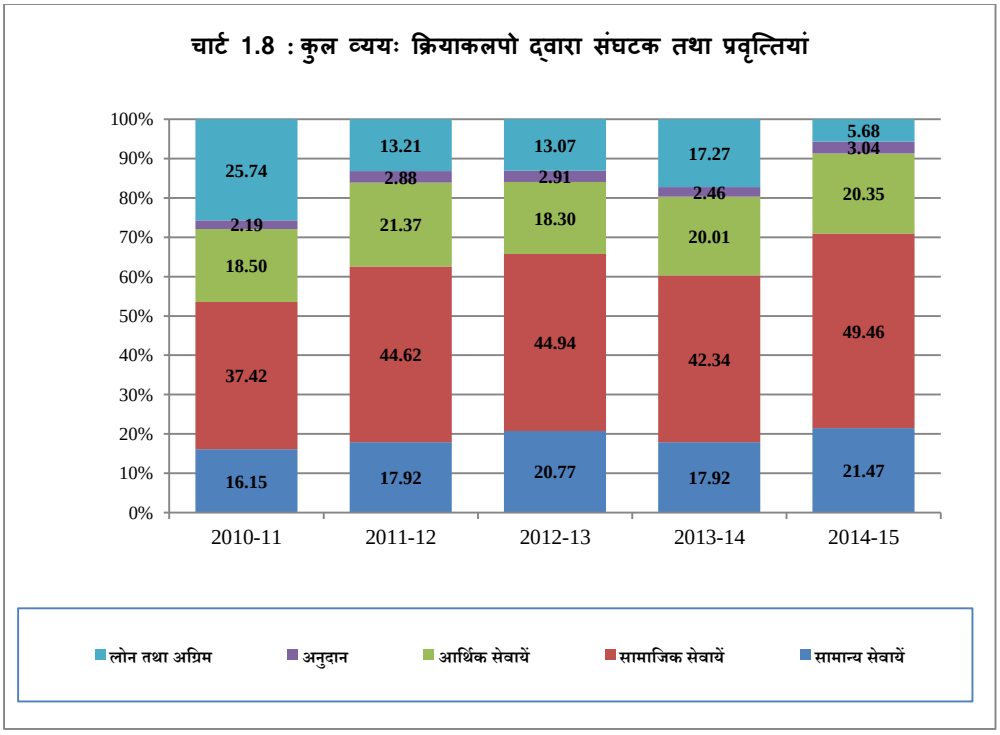

चार्ट 1.8 दर्शाता है कि 2010-15 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 16.15 *प्रतिशत* से बढ़कर 21.47 *प्रतिशत* हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 37.42 *प्रतिशत* से बढ़कर 49.46 *प्रतिशत* हो गया। जबकि उसी अवधि के दौरान ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय 25.74 प्रतिशत से घटकर 5.68 प्रतिशत हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रुप से तीन पहलू जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय के उत्तरदायित्व को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रमुखतः राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। इस प्रकार, राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2014-15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.4

2011-12 और 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत में*)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**	कु.व्यय/ स.रा.घ.उ.	वि.व्य/ कु.व्य.	सा.से.व्यय. /कु.व्य.	पू.व्यय./ कु.व्यय.	शिक्षा/कु. व्यय.	स्वास्थ्य/ कु.व्यय.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2011-12	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2011-12	8.82	79.02	51.58	15.82	18.76	10.37
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2014-15	6.56	75.33	53.85	14.88	22.15	11.77

** स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रुप में

कु.व्य: कुल व्यय वि.व्यय: विकास व्यय

सा.से.व्य:. सामाजिक सेवा व्यय पूं.व्य.: पूंजीगत व्यय

\# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।

* सामान्य श्रेणी राज्यों में तीन राज्य-दिल्ली,गोवा व पुडुचेरी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : स.रा.घ.उ. हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संग्रहित है।

राजकोषीय प्राथमिकता व्यय किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्व है| उपरोक्त तालिका 2011-12 तथा चालू वर्ष 2014-15 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों (सा.श्रे.रा.) से तुलना प्रस्तुत करता है।

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सा.श्रे.रा. की तुलना में 2011-12 एवं 2014-15 दोनों वर्षों में निम्न था।
- सरकार ने वि.व्य. को 2011-12 एवं 2014-15 में राजकोषीय प्राथमिकता दिया क्योंकि इसका कु.व्य. से अनुपात सा.श्रे.रा. के औसत अनुपात से अधिक था।
- सा.श्रे.रा. की तुलना में कु.व्य. में पू.व्य. का अनुपात 2011-12 में अधिक एवं 2014-15 में आशिंक रूप से कम था।
- 2011-12 में कु.व्य. का शिक्षा पर व्यय का अनुपात सा.श्रे.रा. से आंशिक रुप से अधिक था तथा पुनः 2014-15 में बढ़ गया था।
- 2011-12 एवम् 2014-15 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सा.श्रे.रा. से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा व्यय के पुर्नगठन हेतु समुचित उपाय करे जायें तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा श्रेष्ठ वस्तुओं*

* **मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ** वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है , यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5 तथा चार्ट 1.9** चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5
विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (नीचे क से ग तक)	17631.45	20004.27	20802.05	25808.13	24466.62	22292.18
क. विकास राजस्व व्यय	10111.26	12889.33	14088.26	15964.55	18373.64	16625.10
ख. विकास पूंजीगत व्यय	3720.25	3815.45	3979.76	4441.95	4503.71	4032.84
ग. विकास ऋण व अग्रिम	3799.94	3299.49	2734.03	5401.63	2092.15	1634.24

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

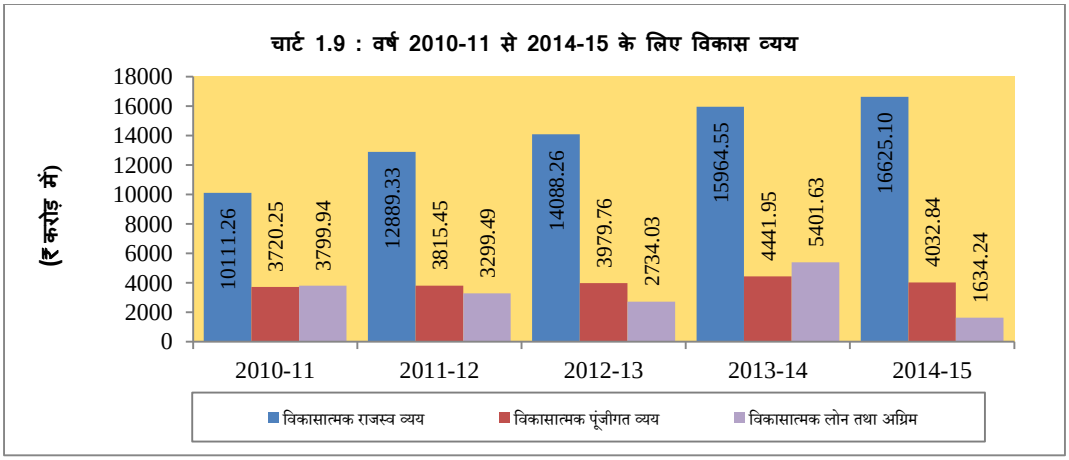

2014-15 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत् वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 1,748.54 करोड़ तथा ₹ 470.87 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकंलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 64.42 *प्रतिशत* व 8.40 *प्रतिशत* बढ़े। विकास पूँजीगत व्यय विगत वर्ष से 2014-15 में ₹ 409.11 करोड़ से घट गया तथा विकास ऋण व अग्रिम ₹ 3,767.39 करोड़ से घट गया।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2015 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 17,660.35 करोड़ का निवेश किया था। इस निवेश पर प्रतिफल 2014-2015 में बहुत कम 0.07 *प्रतिशत* था। 2010-15 के दौरान प्रतिफल 0.07 तथा 0.37 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने 2014-15 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.59 प्रतिशत ब्याज दर चुकाया। **तालिका 1.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6

निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त तक निवेश	12616.58	14655.90	16388.15	17060.35	17660.35
प्रतिफल	46.59	33.00	26.25	11.95	12.90
प्रतिफल (%)	0.37	0.23	0.16	0.07	0.07
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%)	9.10	9.77	9.73	9.21	8.59
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (%)	8.73	9.54	9.57	9.14	8.52

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में निवेश में वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 600.00 करोड़ के नये निवेश के कारण थी। 23 कंपनियों में ₹ 17,660.35 करोड़ के कुल निवेश में से केवल पाँच कंपनियों जैसे (i) दिल्ली गृह वित्त सहकारी समिति लि., (ii) इंद्रप्रस्थ चिकित्सा निगम लि., (iii) दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति, (iv) पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम तथा (v) इंद्रप्रस्थ गैस लि. में मार्च 2015 तक ₹ 74.38 करोड़ का निवेश किया गया जिससे 2014-15 के दौरान ₹ 12.90 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि इन कंपनियों में निवेश का 17.34 प्रतिशत था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार संस्थानों/संगठनों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2015 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 57,189.61 करोड़ था **(तालिका 1.7)**।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रारंभिक शेष	45147.73	47877.9	50887.82	55737.28
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	3345.41	3734.83	5652.37	1679.94
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	376.25	724.90	802.91	227.61
अन्त शेष	48116.90	50887.82	55737.28	57189.61
निवल योग	2969.17	3009.93	4849.46	1452.33
ब्याज प्राप्तियाँ	174.14	340.03	379.35	350.52
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियों	0.36	0.67	0.68	0.61

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2014-15 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 15,783.88 करोड़), शहरी विकास य़ोजना (₹ 1,749.59 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13,698.65 करोड़), पावर परियोजनाओं (₹ 10,450.52 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14,909.19 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2014 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष आते है।

1.9.2. राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.8 राज्य की राजकोषीय उत्तरदायित्व, उनके वृद्धि की दर, स.रा.घ.उ. से उनके उत्तरदायित्व का अनुपात राजस्व प्राप्तियां तथा राज्य के अपने संसाधनों का, इन मानदण्डो के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को दर्शाती है।

तालिका 1.8

राजकोषीय उत्तरदायित्व - मुख्य मानदण्ड

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजेकोषीय उत्तरदायित्व (₹ करोड़ में)	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32	32497.91
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	13.55	-1.76	-1.23	9.70	1.30
राजकोषीय उत्तरदायित्व का अनुपातः					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.44	132.22	114.40	114.65	109.85
अपने संसाधन (प्रतिशत)	145.84	144.91	121.55	120.70	119.32
राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता के संदर्भ मेः					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.84	-0.13	-0.07	0.58	0.08
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.61	0.17	-0.09	1.02	0.23
अपने संसाधन (अनुपात)	0.61	1.55	-0.07	0.93	0.52

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2010-11 में ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 *प्रतिशत*) हो गई। 2014-15 के दौरान ₹ 32,497.91 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश' की ₹ 29,171.51 करोड़, संसाधनों की कमी की पूर्ती हेतु ऋण ₹ 3,326.39 तथा 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की ₹ 0.01 करोड़ की बाध्यताएँ थीं। 2014-15 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरक्त राज्य की ऋण धारणीयता* का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह

* ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रुप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अथवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु चल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा

खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में गैर-ऋण प्राप्तियों[†] की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों[‡] की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है।) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। **तालिका 1.9** 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

तालिका 1.9

ऋण धारणीयताः संकेतक व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	4210.52	(-)6274.57	821.95	790.57	(-)114.37
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	3595.88	(-)531.80	(-)365.58	2837.60	417.59
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्रत्तियां अनुपात)	10.31	13.03	11.20	10.09	9.38

(स्रोतः संकेतकों की गणना हेतु आँकड़े संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र.ले.का. दिल्ली से लिए गए हैं।

- 2010-11 में ऋण की वृद्धि दर (राजकोषीय देयता) 13.55 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.30. प्रतिशत हो गई (तालिका 1.8) तथा उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. ने भी 16.14 प्रतिशत से 15.35 प्रतिशत तक की न्यूनतम की दर्शा रहा था। इसके फलस्वरूप ऋण में स.रा.घ.उ. अनुपात 2010-11 में 11.92 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 7.20 प्रतिशत हो गया।

अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त प्रतिफलों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

[†] अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

[‡] इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याजभुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रुप में परिभाषित करते है तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 1,603.90 करोड़ व ₹ 1142.97 करोड़ बढ़े। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में ऋण तथा अग्रिम ₹ 575.31 करोड़ से घट गये। इसने संसाधनों के मध्य अंतर को प्रभावित किया तथा यह 2013-14 के ₹ 790.57 करोड़ से 2014-15 में (-) ₹ 114.37 करोड़ तक घट गया।
- ब्याज भुगतान के भार में तुलनात्मक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2010-11 में 10.31 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 13.03 प्रतिशत हो गया और फिर 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति में वृद्धि तथा कम ब्याज के भुगतान के कारण 9.38 प्रतिशत क्रमशः घट गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड - राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटे - एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रुप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृतियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 व **चार्ट 1.11** 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाता हैं।

चार्ट 1.10 : 2010-15 की अवधि से आगे घाटे के सकेतकों की प्रवृतियाँ

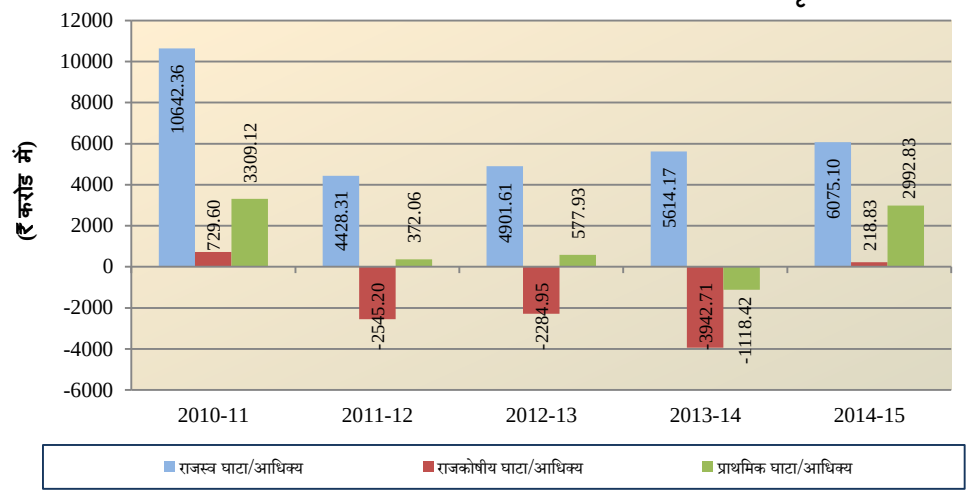

Chart 1.11: Trends in deficit Indicatos relative to GSDP

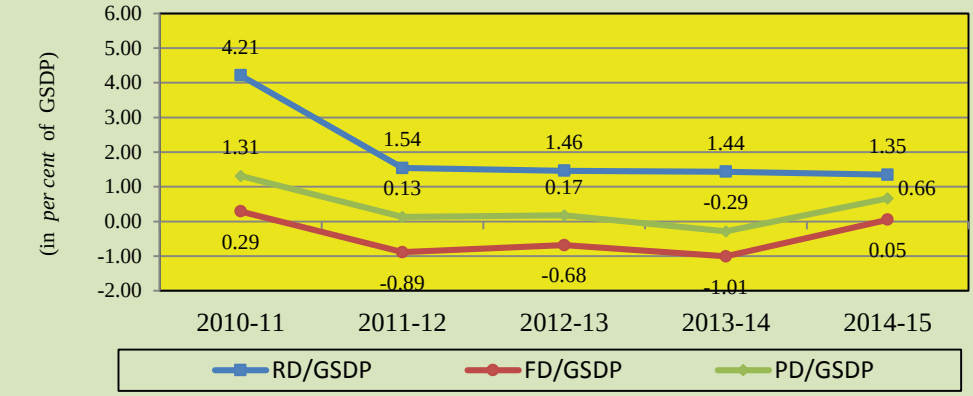

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के आधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2010-15 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। 2010-11 में यह ₹ 10,642 करोड़ था जो 2011-12 में घटकर ₹ 4,428.31 करोड़ हो गया 2014-15 में यह ₹ 6075.10 करोड़ था।

2010-15 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन अंतर के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था जो 2011-12 में 2545.20 करोड़ के घाटे में बदल गया। राजकोषीय घाटा 2012-13 में ₹ 2284.95 करोड़ कम हो गया तथा 2013-14 में 3942.71 करोड़ फिर बढ़ गया। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा पुनः 218.83 करोड़ के आधिक्य में बदय गया।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ऊपर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2010-11 में राज्य में प्राथमिक अधिशेष था जो कि 2013-14 में घटकर (-) ₹ 1,118.42 करोड़ की

ऋणात्यक प्रवृत्ति को दर्शा रहा था, परन्तु यह 2014-15 में ₹ 2992.83 से बढ़ गया।

2014-15 में राजस्व प्राप्तियाँ 5.73 प्रतिशत तक बढ़ गई, किन्तु राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 5.11 प्रतिशत तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2013-14 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 460.93 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को **तालिका 1.10** में दिखाया गया हैः

तालिका 1.10

राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राजकोषीय घाटा/बचत* (-/+)	(+)729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71	218.83
2	राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	10642.36	4428.31	4901.61	5614.17	6075.10
3	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3984.80	(-) 4004.27	(-)4176.63	(-)4707.42	(-)4403.94
4	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)5927.96	(-)2969.17	(-)3009.93	(-)4849.46	(-)1452.32
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**						
1	भा.स. से ऋण	3595.88	(-)531.80	365.58	2837.60	417.60

** घाटे के आंकड़े - में तथा अधिशेष + में दिखाए गए हैं*

*** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं*

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूंजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पतीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2010-15 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल

पूंजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि **तालिका 1.11** में दिया गया हैः

तालिका 1.11

प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	13658.65	3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	7721.75	372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	8489.39	577.93
2013-14	28783.60	19542.23	4707.42	5652.37	29902.02	9241.37	(-)1118.42
2014-15	29812.20	20735.49	4403.94	1679.94	26819.37	9076.71	2992.83

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2010-11 में ₹ 3,309.12 करोड़ का प्राथमिक वित्तीय आधिक्य हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ प्राथमिक घाटा हुआ। 2014-15 में, राज्य का प्राथमिक आधिक्य पुनः ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के दौरान 2014-15 में पूंजीगत व्यय ₹ 303.48 करोड़ से घट गया। यद्यपि पूंजीगत व्यय प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 15.74 प्रतिशत की तुलना में आशिंक रूप से बढ़कर 16.42 प्रतिशत हो गया। यह 2010-11 के 17.99 की तुलना में महत्वपूर्व था। पूंजीगत व्यय पर पूँजीगत परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1603.90 करोड़ (5.73 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) तक बढ़ गया। जबकि गैर-कर राजस्व ₹ 26.60 (4.04 प्रतिशत) तक कम हो गया तथा भारत सरकार से अनुदाने ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) तक बढ़ गया। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में घटकर ₹ 303.48 करोड़ (6.45 प्रतिशत) हो गई। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों के स्व कर राजस्व का अंशदान 2014-15 में 89.92 प्रतिशत था।

2014-15 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 3132.94 करोड़ (9.57 प्रतिशत) से घटकर ₹ 29593.37 करोड़ हो गया। कुल घाटे में पूंजीगत

व्यय 303.48 करोड़ गठित हो गया तथा ऋण एवम् अग्रिम ₹ 3972.43 करोड़ गठित हो गए जबकि राजस्व व्यय ₹ 1142.97 करोड़ तक बढ़ गया।

सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 17,660.35 करोड़ (31 मार्च 2015 तक) निवेश किए थे। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिपूर्ति 2014-15 में 0.07 प्रतिशत की थी जबकि सरकार ने 2014-15 के दौरान अपने उधारों पर 8.59 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज अदा किया।

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2010-11 में ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 प्रतिशत) हो गई। 2014-15 के अंत में राजकोषीय देयताये राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों के सम्बन्ध में देखे जाने पर यह दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 460.93 करोड़ बढ़ा। 2013-14 में ₹ 3942.71 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य हो गया तथा 2013-14 का ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014-15 में ₹ 2992.83 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परवर्तित हो गया।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नोक्त पर विचार कर सकती है:

- आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, और
- इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।